Rajasthan Technical University, Kota
राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा
Rawatbhata Road, Akelgarh Kota - 324010
Ph No.-0744-2473903 Fax No. 0744-2473033, e-mail ID financeofficerrtu@gmail.com

एफ (3)/लेखा/12th FC/99/2014–15/1280-88 दिनांक 07.08.14

वित्त अधिकारी,
आर॰टी॰यू॰ कोटा
वित्त समिति (सदस्य सचिव)
राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय
कोटा

विषय : वित्त समिति की 12वीं बैठक का कार्यवाही विवरण।

महोदय,

राजस्थान तकनीकी विश्वविधालय की वित्त समिति की 12वीं बैठक दिनांक 28 जून 2014 को कुलपति सचिवालय में आयोजित की गई थी। उक्त बैठक का कार्यवाही विवरण संलग्न कर भिजवाया जा रहा है।

भवदीय,

(एस.एन. शर्मा)
वित्त अधिकारी एवं सदस्य सचिव (विंत्त समिति)
राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निदेशक (विश्वविधालय अभियांत्रिकी महाविधालय) आर.टी.यू., कोटा।
4. निजी सचिव, माननीय कुलपति महोदय
5. कुलसचिव, आर.टी.यू., कोटा को प्रबन्ध मडण्ल की बैठक में प्रस्तुत करने हेतु।

वित्त अधिकारी
राजस्थान तकनीकी विश्वविधालय, कोटा

Rajasthan Technical University, Kota
राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा
Rawatbhata Road, Akelgarh Kota - 324010
Ph No.-0744-2473903 Fax No. 0744-2473033, e-mail ID financeofficerrtu@gmail.com

माननीय सदस्यों की सूची

1	**कुलपति** राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा।	अध्यक्ष
2	**सम्भागीय आयुक्त** प्रतिनिधि, वित्त विभाग राजस्थान सरकार जयपुर।	सदस्य
3	**प्रमुख शासन सचिव** तकनीकी शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार जयपुर।	सदस्य
4	**प्रति कुलपति** राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा।	सदस्य
5	**कुलसचिव** राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा।	सदस्य
6	**परीक्षा नियंत्रक** राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा।	सदस्य
7	**वित्त अधिकारी** राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा।	सदस्य सचिव

Rajasthan Technical University, Kota
राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा
Rawatbhata Road, Akelgarh Kota - 324010
Ph No.-0744-2473903 Fax No. 0744-2473033, e-mail ID financeofficerrtu@gmail.com

कार्यवाही विवरण
(12वीं वित्त समिति की बैठक दिनांक 28.06.2014)

वि.स.क्र. 12.1 : वित्त समिति की ग्यारवी बैठक का कार्यवाही विवरण :–

वित्त समिति की ग्यारवी बैठक दिनांक 26.02.2014 को प्रातः 11.30 बजे कुलपति सचिवालय सभा भवन में प्रो. एन. एस. व्यास, कुलपति, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई।

ग्यारवी वित्त समिति की बैठक का कार्यवाही विवरण जो कि पत्रांक F/(3)Accounts/XI FC/14/19848-56 दिनांक 12.03.2014 द्वारा प्रसारित किया गया, जिसको प्रबन्ध मण्डल की आगामी बैठक में अनुमोदनार्थ रखा जावेगा।

संकल्प : समिति द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया।

वि.स.क्र. 12.2 : गेस्ट फेकल्टी को मानदेय की स्वीकृति के सम्बंध में (निदेशक यूसीई):–

विश्वविधालय से सम्बंद्व अभियांत्रिकी महाविधालय (यू.सी.ई.) में शिक्षको की छात्र संख्या के अनुपात में कमी को मध्यनजर रखते हुऐ (यू.जी.सी. के मानदण्डों के अन्तर्गत) वित्त समिति एवं प्रबन्ध मण्डल से अनुमोदन उपरांत गेस्ट फेकल्टी रखने हेतु आदेश क्रमांक 1678–82 दिनांक 21.12.12 से निम्नानुसार दरें तय की गई थी।

1. रू.400/– प्रति कालांश व्याख्यान हेतु एवं रू.300/– प्रति कालांश प्रयोगशाला हेतु **अथवा**
2. (i) समेकित मानदेय रू.15,600/– प्रतिमाह (बी.टेक. योग्यताधारी के लिए)
   (ii) रू. 21,600/– प्रतिमाह (एम.टेक. योग्यताधारी के लिए)
   (iii) रू. 25000/– प्रतिमाह (पी.एच.डी. योग्यताधारी के लिए)
   (iv) रू.1000/– प्रतिकालांश अधिकतम 4000/– रू. प्रतिदिन (एयरोनोटिकल एवं पेट्रोलियम पाठ्यक्रम के लिये विशेषज्ञ व्याख्यान हेतु)

यू.जी.सी. के निर्देशों के अन्तर्गत बी.टेक पाठ्यक्रम के अध्यापन हेतु एम.टेक. योग्यताधारी गेस्ट फेकल्टी पात्र है। अतः आलोच्य आदेश दिनांक 21.12.12 में निम्नानुसार संशोधन प्रस्तावित किया गया है:–

1. रू. 400/– प्रति कालांश व्याख्यान हेतु एवं रू.300/– प्रति कालांश प्रयोगशाला हेतु (अधिकतम राशि एम.टेक./एम.एस.सी. योग्यताधारी के लिये रू. 21600/– एवं पी.एच.डी. योग्यताधारी के लिये रू. 25000/– प्रतिमाह की सीमा में) अथवा
2. (i) समेकित मानदेय रू. 21600/–एम.टेक./एम.एस.सी. (विज्ञान विषयों के अध्यापन हेतु) योग्यताधारी के लिए
   (ii) समेकित मानदेय रू. 25000/– प्रतिमाह (पी.एच.डी. योग्यताधारी के लिए)
3. रू.1000/– प्रति कालांश अधिकतम 4000/– रू. प्रतिदिन (एयरोनोटिकल एवं पेट्रोलियम पाठ्यक्रम विशेषज्ञ व्याख्यान हेतु)

4. रू.1000/– प्रति कालांश अधिकतम 4000/– रू. प्रतिदिन
(IIT/IIM/IIIT/NIT/Central/CSIR Labs/PSU's संस्थान से विशेषज्ञो के व्याख्यान हेतु)
5. रू.1000/– प्रति कालांश अधिकतम रू.25000/– प्रतिमाह की सीमा में सहायक आचार्य (Assistant Professor) योग्यताधारी गेस्ट फेकल्टी/अशंकालीन शिक्षक जो UGC के परिपत्र क्रंमाक F.10-1/2009(PS) दिनांक Feb, 2010 द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अन्तर्गत चयनित हो (परिशिष्ट–1 पृष्ट संख्या 10 से 11)

अतः प्रकरण समिति के समक्ष अवलोकनार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

संकल्प : प्रकरण का समिति द्वारा अवलोकन कर आवश्यक विचार विमर्श उपरांत कम संख्या–3 पर विषय विशेषज्ञ की योग्यता एसोसियेट प्रोफेसर से कम न होने संबंधी शर्त सहित प्रस्तावानुसार मानदेय की दरों को स्वीकृत करने की अभिशंषा की गई।

वि.स.क्र.12.3 बाहरी परीक्षकों हेतु भोजन एवं अल्पाहार की दरों के निर्धारण के संबंध में (निदेशक यूसीई) :–

विश्वविधालय से राम्बंद्व अभियांत्रिकी महाविधालय (यू.सी.ई.) में एम.टेक./पीएचडी पाठयक्रमों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं हेतु बाहरी परीक्षकों को आमंत्रित किया जाता है जिसके समक्ष बाहरी परीक्षकों को टीए एवं निर्धारित दरों पर मानदेय का नियमानुसार भुगतान किये जाने के प्रावधान है।
निदेशक (यूसीई) द्वारा बाहरी परीक्षकों को उपर्युक्त प्रयोजनार्थ अल्पाहार एवं भोजन व्यवस्था हेतु बी.ओ.एस. (बोस) के सदस्यों के लिए निर्धारित दरों के अनुरूप (भोजन 120/– प्रति सदस्य, अल्पाहार रू0 25/– प्रति सदस्य) व्यय किये जाने की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये हैं। (परिशिष्ट–2 पृष्ट संख्या 12)

अतः प्रकरण समिति के समक्ष अवलोकनार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

संकल्प : प्रस्ताव का अवलोकन कर समिति द्वारा बाहरी परीक्षकों हेतु भोजन एवं अल्पाहार की दरों के संबंध में नियमानुसार निर्णय/कार्यवाही करने हेतु प्रकरण माननीय कुलपति के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।

वि.स.क्र. 12.4 : केम 2012 में कार्यरत समन्वयको को मानदेय की स्वीकृति के सम्बंध में (केम समन्वयक– 2012) :–

विश्वविधालय द्वारा वर्ष 2012 में एम.टेक. मे केन्द्रीयकृत प्रवेश परीक्षा (केम–2012) की प्रक्रिया संपादन हेतु कुलसचिव के आदेश क्रंमाक एफ(2)2/2012/1411–15 दिनांक 15.05.2012 के द्वारा डॉ0 संजीव मिश्रा एवं डॉ0 रंजन माहेश्वरी को केम–2012 के लिए समन्वयक नियुक्त किया गया था (प्रतिसलंग्न)। तदुपरांत एम.टेक. में केन्द्रीयकृत प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होने पर प्रवेशित छात्रो को सम्बंधित महाविधालयों मे प्रवेश हेतु अधिकृत करने एवं तदनुसार छात्रो द्वारा जमा करायी गई काउन्सलिंग फीस राशि रू.10000/– प्रति छात्र की दर से सम्बंधित महाविधालयों को हस्तान्तरण करनें एवं प्रवेश लेने के अनिच्छुक/असफल अभ्यार्थियो को फीस वापसी प्रक्रिया पूर्ण करने एवं तत्सम्बंधी लेखाकंन प्रक्रिया/कार्य सम्पादित करने/दस्तावेज संधारण हेतु कार्यालय आदेश क्रमाकं एफ(3)/लेखा/23/12/16026–35 दिनांक 16/03/13 के द्वारा गठित प्रकोष्ठ में विश्वविधालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आर.पी.ई.टी.–2007 के लिए

राज्य सरकार से स्वीकृत दरों के समकक्ष पारिश्रमिक/मानदेय की दरें तय की गई जिसकी अधिकतम सीमा 90 दिन रखी गयी थी।

उक्त केन्द्रीयकृत प्रवेश परीक्षा (केम–2012) हेतु नियुक्त दोनों समन्वयकों, डॉ0 संजीव मिश्रा एवं डॉ0 रंजन माहेश्वरी द्वारा पृथक–पृथक 90 दिवस हेतु मानदेय की मांग की जा रही है।

चूंकि आर.पी.ई.टी. परीक्षा के लिए समन्यवक (एक) एवं सह–समन्वयक (एक) नियुक्त किये गये थे। अतः तद्नुसार उक्त प्रकरण में भी मानदेय का भुगतान करने हेतु डॉ0 संजीव मिश्रा को, समन्वयक एवं डॉ0 रंजन माहेश्वरी को सह–समन्वयक के रूप में एवं केम प्रकोष्ठ में कार्यरत स्टॉफ को आर.पी.ई.टी–2007 की राज्य सरकार से स्वीकृत मानदेय/पारिश्रमिक दरों के अनुरूप एम.टेक केन्द्रीयकृत प्रवेश परीक्षा (वर्ष 2012 एवं अगामी वर्षो के लिए) संपादन हेतु उपरोक्तानुसार मानदेय/पारिश्रमिक दरों (अधिकतम 90 दिवस की सीमा में) की स्वीकृति अपेक्षित है। (परिशिष्ट–3 पृष्ट संख्या 13 से 16)

अत : प्रकरण समिति के समक्ष अवलोकनार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

संकल्प : प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा की गई। विश्वविधालय द्वारा आयोजित की जाने वाली M.Tech प्रवेश परीक्षा को अतिरिक्त समय में सम्पादित करने पर तकनीकी शिक्षा विभाग के पत्रांक प.18(2) त.शि./18 पार्ट दिनांक 15.01.09 के अन्तर्गत राजस्थान विश्वविधालय द्वारा परीक्षा कार्य हेतु देय अतिरिक्त मानदेय की राशि को आधार मानते हुए विश्वविधालय के कार्मिकों को आलोच्य मानदेय का भुगतान किये जाने तथा समन्यवक एवं सह–समन्यवक को देय मानदेय के सदर्भ में माननीय कुलपति महोदय के स्तर पर निर्णय लिये जाने की अभिशंषा की गई।

वि.स.क्र. 12.5 : विश्वविधालय से सम्बद्ध महाविधालयों/संस्थानों में संचालित पाठ्यक्रमों के निरीक्षण हेतु निर्धारित निरीक्षण शुल्क में वृद्वि करने के सम्बंध में (निदेशक अकादमिक) :–

विश्वविद्यालय के बोर्ड ऑफ इंस्पेक्शन के निर्देशानुसार विश्वविधालय से सम्बद्ध महाविधालयों/संस्थानों में संचालित संकाय को सम्बद्वता जारी करने हेतु प्रतिवर्ष सम्बंधित महाविधालयों/सस्थांनों का विश्वविधालय द्वारा नामित सदस्यो द्वारा निरीक्षण करनें का प्रावधान है जिसके लिये विश्वविधालय द्वारा वित्त समिति एवं प्रबन्ध मण्डल से अनुमोदन उपरांत जारी कार्यालय आदेश क्रंमाक एफ(17)/08/16771–941 दिनांक–20.03.2008 के अनुसार राशि रूपये 15000/– प्रति संकाय की दर से सम्बंधित महाविधालय/संस्थान से निरीक्षण शुल्क के रूप में वर्ष 2006 से प्राप्त किये जा रहे है। निदेशक (अकादमिक) द्वारा मुद्रास्फीति/परिवहन लागतों एवं अन्य खर्चो में हुई वृद्वि को मध्यनजर रखते हुए निरीक्षण शुल्क राशि को रूपये 25000/– प्रति पाठ्यक्रम की दर से वृद्वि करने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये हैं। (परिशिष्ट–4 पृष्ट संख्या 17)

अतः प्रकरण समिति के समक्ष अवलोकनार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

संकल्प : समिति द्वारा प्रकरण पर आवश्यक विचार विमर्श उपरांत प्रस्तावानुसार निरीक्षण शुल्क में वृद्वि करने की अभिशंषा की गई ।

वि.स.क्र. 12.6 : विश्वविधालय से सम्बद्ध महाविधालयों/संस्थानों में संचालित पाठ्यक्रमों के निरीक्षण पर जाने वाले निरीक्षकों को देय मानदेय दरों में वृद्वि करने के सम्बंध में (निदेशक अकादमिक) :–

विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविधालयों/संस्थानों में संचालित पाठ्यक्रमों के निरीक्षण करने हेतु वित्त समिति एवं प्रबन्ध मण्डल से अनुमोदन उपरांत कार्यालय आदेश क्रंमाक 6769–73 दिनांक–21.11.2011 के अनुसार निम्नलिखित मानदेय दरें तय की गई थी।

- एक दिवस हेतु 1500/– तथा दो दिवस हेतु 2250/– प्रतिनिरीक्षक/प्रति महाविधालय/ संस्थान

निदेशक अकादमिक द्वारा वर्तमान में लागू उपरोक्त मानदेय दरों को मुद्रास्फीति में वृद्वि, आवास–भोजन की बढी हुई दरों को मध्यनजर रखते हुए मानदेय/पारिश्रमिक दरों को निम्नानुसार संशोधित करने की मांग की गई है। परिशिष्ट–5 पृष्ट संख्या 21 से 23 पर संलग्न है।

- एक दिवस हेतु 6000/– तथा दो दिवस हेतु 9000/– प्रतिनिरीक्षक/प्रति महाविधालय/ संस्थान

अतः प्रकरण समिति के समक्ष अवलोकनार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

संकल्प : समिति द्वारा आवश्यक विचार विमर्श उपरान्त निम्नानुसार मानदेय दरों में वृद्वि करने की अभिशंषा की गई ।

प्रस्तावित	अनुमोदित
(अ) एक दिवस हेतु 6000/– प्रतिनिरीक्षक /प्रति महाविद्यालय/संस्थान (ब) दो दिवस हेतु 9000/– प्रति निरीक्षक/प्रति महाविद्यालय/संस्थान	(अ) एक दिवस हेतु 3000/– प्रतिनिरीक्षक /प्रति महाविद्यालय/संस्थान (ब) दो दिवस हेतु 4000/– प्रति निरीक्षक/प्रति महाविद्यालय/संस्थान

वि.स.क्र.12.7 पुनर्मूल्यांकन हेतु निर्धारित न्यूनतम पारिश्रमिक दर में संशोधन करने के संबंध में (परीक्षा नियंत्रक):–

वर्तमान में उत्तरपुस्तिकाओं के प्रथम मूल्याकंन हेतु न्यूनतम पारिश्रमिक दर राशि रू0 500/–स्वीकृत है जबकि पुनर्मूल्यांकन हेतु परीक्षकों को वर्तमान में स्वीकृत न्यूनतम पारिश्रमिक मात्र राशि रू0 75/–की दर से ही भुगतान किया जा रहा है, जो कि प्रथम मूल्याकंन हेतु स्वीकृत उपर्युक्त न्यूनतम दर से काफी कम है। अतः उपरोक्त विसंगति का निराकरण करने हेतु परीक्षा नियंत्रक द्वारा पुनर्मूल्यांकन हेतु स्वीकृत न्यूनतम दर (राशि रू0 75/–) को प्रथम मूल्यांकन हेतु स्वीकृत न्यूनतम दर (राशि रू0 500/–) के समान लागू करने के प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये है। (परिशिष्ट–6 पृष्ट संख्या 24 से 25)

अतः प्रकरण समिति के समक्ष अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत हैं।

संकल्प : **समिति द्वारा सहमति व्यक्त करते हेतु प्रस्तावानुसार पुनर्मूल्यांकन हेतु न्यूनतम पारिश्रमिक दरों में वृद्वि करने की अभिशंषा की गई ।**

वि.स.क्र.12.8: ट्रासंक्रिप्ट (सब्जेक्टवाईज) जारी करने हेतु शुल्क में संशोधन करने के संबंध में (परीक्षा नियत्रंक) :–

विश्वविद्यालय से संबंध महाविद्यालयों/संस्थानों के विद्यार्थियों द्वारा पाठयकम की समाप्ति उपरान्त ट्रासंक्रिप्ट जारी करने हेतु आवेदन किया जाता है। उक्त ट्रासंक्रिप्ट दो प्रकार से सब्जेक्टवाईज एवं सेमेस्टरवाईज जारी किये जाने के प्रावधान है, जिसके लिए वर्तमान में प्रति ट्रासंक्रिप्ट शुल्क राशि रू0 300/–निर्धारित है। सब्जेक्टवाईज ट्रासंक्रिप्ट में दर्शायी जाने वाली सूचना सेमेस्टरवाइज ट्रासंक्रिप्ट की तुलना में काफी विस्तृत होती है। इसलिए सेमेस्टरवाइज ट्रासंक्रिप्ट के शुल्क (राशि रू0 300/–) को यथावत रखते हुए सब्जेक्टवाइज ट्रासंक्रिप्ट हेतु निर्धारित शुल्क (राशि रू0 300/–)को संशोधित कर राशि रू0 600/–किया जाना प्रस्तावित है। (परिशिष्ट–7 पृष्ट संख्या 26)

अतः प्रकरण समिति के समक्ष अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत हैं।

संकल्प : **समिति द्वारा प्रकरण का अवलोकन कर प्रस्तावानुसार ट्रासंक्रिप्ट (सब्जेक्टवाईज) जारी करने हेतु शुल्क में वृद्वि करने की अनुशंषा की गई।**

वि.स.क्र.12.9 बाहरी परीक्षकों की नियुक्ति के समक्ष होने वाले खर्चो (टी.ए./डी.ए. एवं मानदेय आदि) को वहन/पुनर्भरण के संबंध में (परीक्षा नियंत्रक) :–

विश्वविद्यालय द्वारा स्नातकोत्तर एवं एम.टेक डेजर्टेशन संबंधी विभिन्न परीक्षाओं हेतु बाहरी परीक्षकों की समय–समय पर नियुक्ति कर विश्वविद्यालय से संबंध महाविद्यालयों/संस्थानों में संबंधित विद्यार्थियों के viva voce लेने हेतु भेजा जाता है जिसके लिए विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त बाहरी परीक्षकों को टीए/डीए एवं मानदेय का भुगतान माननीय कुलपति की विशेष स्वीकृति पर किया जा रहा है, जिसके लिए विश्वविद्यालय द्वारा 1200/–प्रति viva-voce परीक्षा शुल्क वसूल किया जाता है जो कि बाहरी परीक्षकों को उक्त परीक्षाओं हेतु देय टीए/डीए एवं मानदेय की तुलना में काफी कम है।

अतः परीक्षा नियंत्रक द्वारा बाहरी परीक्षकों को उक्त परीक्षाओं हेतु देय टीए/डीए व्यय को संबंधित कॉलेज/महाविद्यालय द्वारा वहन करने तथा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित दर से मानदेय का भुगतान संबंधित कॉलेज/महाविद्यालय द्वारा परीक्षकों को किये जाने उपरान्त विश्वविद्यालय को वार्षिक रूप से बिल प्रस्तुत कर संबंधित कॉलेज/महाविद्यालय को पुनर्भरण/भुगतान करने के प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये हैं। (परिशिष्ट–8 पृष्ट संख्या 27 से 29)

अतः प्रकरण समिति के समक्ष अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

संकल्प : **प्रस्ताव पर विचार विमर्श उपरान्त अभिशंषा की गई कि विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षाओं के संबंध में दिये जाने वाला मानदेय एवं टी.ए./डी.ए. विश्वविद्यालय द्वारा ही वहन किया जाना अपेक्षित है तथापि परीक्षा शुल्क में वांछित वृद्वि हेतु पृथक से प्रस्ताव परीक्षा नियंत्रक द्वारा आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जा सकते हैं।**

वि.स.क्र.12.10 विशेष परिस्थितियों में परीक्षा फार्म भरने हेतु विलम्ब शुल्क छः गुना प्राप्त कर परीक्षा फार्म भरने की स्वीकृति के संबंध में (परीक्षा नियत्रंक):–

विश्वविद्यालय की वर्तमान परीक्षा प्रणाली के अन्तर्गत छात्रों द्वारा परीक्षा फार्म संबंधित महाविद्यालय/संस्थान के माध्यम से भरे जाते हैं एवं परीक्षा फार्म की नियत तिथि के पश्चात (सात दिवस तक) फार्म भरने वाले छात्रों से मूल परीक्षा फीस से तीन गुना फीस(कुल चार गुना) प्राप्त कर संबंधित छात्र को परीक्षा आवेदन करने की स्वीकृति जारी किये जाने के प्रावधान है।

परन्तु ऐसा देखा गया है कि विशिष्ठ परिस्थितियों में कई बार छात्र अन्तिम तिथि (विलंब शुल्क सहित) तक भी महाविद्यालय के माध्यम से फार्म नहीं भर पाते हैं। अतः ऐसी परिस्थितियों में छात्र को छःगुना फीस (मूल परीक्षा फीस सहित)परीक्षा प्रारंभ होने से पूर्व परीक्षा फार्म भरने की स्वीकृति देने/परीक्षा में शामिल करने संबंधी प्रस्ताव परीक्षा नियंत्रक द्वारा प्रस्तुत किये गये हैं। (परिशिष्ट–9 पृष्ट संख्या 30 से 31)

अतः प्रकरण समिति के समक्ष अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

संकल्प : समिति द्वारा प्रकरण का अवलोकन कर प्रस्तावानुसार विशेष परिस्थितियों में परीक्षा फार्म भरने हेतु विलंब शुल्क 6 गुना (मूल परीक्षा फीस सहित) जमा कराई जाकर छात्र को परीक्षा में शामिल करने की अनुमति दिये जाने की सहमति व्यक्त की गई।

वि.स.क्र.12.11: पीएचडी में प्रवेशित/अध्ययनरत छात्रों से विभिन्न प्रकार की शुल्क वसूली के संबंध में (डीन रिसर्च) :–

पूर्व में कुलसचिव के आदेश कमांक 11895–900 दिनांक 07.01.2013 से वित्त समिति एवं प्रबन्ध मण्डल के निर्णयानुसार पीएचडी हेतु फीस निर्धारण के आदेश जारी किये गये थे जो राजस्थान विश्वविद्यालय के समकक्ष थे।

डीन रिसर्च के द्वारा राजस्थान विश्वविद्यालय के अध्यादेश के परिनियमों के अन्तर्गत विश्वविद्यालय में सत्र 2009–2012 में पीएचडी पाठयकम में प्रवेशित छात्रों से राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय के अध्यादेशों में वर्णित परिनियमों के अनुरूप सत्र 2012–2013 में प्रवेशित छात्रों के समकक्ष निम्नाकिंत शुल्क वसूल करने के संबंध में प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये हैं। (परिशिष्ट–10 पृष्ट संख्या 32 से 35)

री–रजिस्ट्रेशन फीस	राशि रू0 2000/–
थीसीस सबमिशन फीस	राशि रू0 4000/–
प्रोविजनल सर्टिफिकेट फीस	राशि रू0 200/–
डिग्री इन एब्सेंशिया फीस	राशि रू0 250/–

अतः प्रकरण समिति के समक्ष अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

संकल्प : समिति द्वारा प्रकरण का अवलोकन कर प्रस्तावानुसार विश्वविद्यालय में सत्र 2009–12 में पीएचडी में प्रवेशित/अध्ययनरत छात्रों से भी उपरोक्त शुल्क वसूल करने की सहमति प्रदान की गई।

वि.स.क्र.12.12: पीएचडी पाठ्यक्रम में प्रवेशित/अध्ययनरत छात्रों के लिये छात्रवृत्ति प्रदान करने के सम्बंध में (डीन रिसर्च) :–

कुलसचिव के आदेश क्रमांक 12939–76 दिनांक 01.12.13 से वित्त समिति/प्रबन्ध मण्डल के अनुमोदन उपरांत विश्वविधालय में प्रवेशित पीएचडी छात्रों को मेरिट के आधार पर (प्रति एम.टेक. डिसिप्लेन प्रति छात्र) 8000/–रूपये प्रतिमाह की दर से छात्रवृत्ति देने की स्वीकृति जारी की गई थी। विश्वविधालय के स्वयं के अध्यादेश/परिनियम विनिर्मित होने तक राजस्थान तकनीकी विश्वविधालय जयपुरके अध्यादेश/परिनियम अंगीकृत किये गये है। विश्वविद्यालय के पीएचडी विनियमों के बिन्दु संख्या 2.1 में प्रावधान है कि आलोच्य छात्रवृति/फेलोशिप की स्वीकृति हेतु कुलसचिव द्वारा सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन उपरान्त पृथक से आदेश जारी किये जावेगें। आरटीयू एक्ट 2006 की धारा 38 एवं 39 के अन्तर्गत परिनियम/अध्यादेश प्रबन्ध मण्डल के अनुमोदन पर महामहिम कुलाधिपति की स्वीकृति उपरान्त लागू किये जाने का प्रावधान है।

डीन रिसर्च द्वारा विश्वविद्यालय के रिसर्च बोर्ड से अनुमोदन उपरान्त आई.आई.टी., रूडकी के समकक्ष पीएचडी में अध्ययनरत छात्रों के लिए 18000/–रूपये प्रतिमाह/प्रतिछात्र प्रथम दो वर्षो के लिए एवं राशि रू0 20000/–रूपये प्रतिमाह/प्रति छात्र पश्चातवर्ती दो वर्षो के लिए छात्रवृति दिये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। (परिशिष्ट–11 पृष्ट संख्या 36 से 46)

अतः प्रकरण समिति के समक्ष अवलोकनार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

संकल्प : प्रस्ताव पर समिति द्वारा विस्तार से चर्चा की गई एवं विश्वविद्यालय के पीएचडी अध्यादेश के अन्तर्गत छात्रवृति दिये जाने के संबंध में विश्वविद्यालय अधिनियम/परिनियमों के अनुसार सक्ष्म स्वीकृति/निर्णय हेतु प्रकरण को संबंधित प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये ।

वि.स.क्र.12.13: विश्वविधालय के शिक्षकों/कार्मिकों के वेतन स्थिरीकरण के सम्बंध में (वित्त अधिकारी):–

राजस्थान तकनीकी विश्वविधालय कोटा द्वारा राजस्थान विश्वविधालय के नियम अंगीकृत किये गये है एवं इन नियमो के अन्तर्गत Rules for Fixation of Pay of University Employees, 1985 के अनुसार शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक कर्मचारियो के वेतन स्थिरीकरण आदेश लेखाविभाग की सहमति से कुलसचिव या उनके द्वारा नामित अधिकारी द्वारा जारी किये जाने के प्रावधान हैं।

जबकि वर्तमान में शैक्षणिक कर्मचारियों के वेतन स्थिरीकरण सम्बंधी आदेश निदेशक (यू.सी.ई.) द्वारा जारी किये जा रहे है जो कि नियमानुसार नहीं है। उल्लेखनीय है कि स्थानीय निधी एवं अंकेक्षण विभाग, जयपुर द्वारा 01.04.07 से 30.06. 2008 की अवधि के लिए की गई विशेष जांच एवं महालेखाकार निरिक्षण प्रतिवेदन में निदेशक (यू.सी.ई.) द्वारा पूर्व में किये गये वेतन स्थिरीकरण को नियमानुसार न मानते हुए गंभीर आक्षेप गठित किया था। जिसकी अनुपालना आदिनांक तक अपेक्षित है (परिशिष्ट–12 पृष्ट संख्या 47 से 51)

अतः प्रकरण समिति के समक्ष अवलोकनार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

संकल्प : समिति द्वारा प्रकरण का अवलोकन कर विश्वविद्यालय के नियमों के अतंर्गत प्रस्तवानुसार शिक्षकों एवं कार्मिकों के वेतन स्थिरीकरण आदेश लेखा विभाग की सहमति से कुलसचिव या उनके द्वारा नामित किये गये सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किये जाने एवं अन्य विश्वविधालयों के अनुरूप विश्वविधालय शिक्षकों, कार्मिकों के स्थापना–शाखा संबंधी समस्त कार्य कुलसचिव को (माननीय कुलपति के नियंत्रणाधीन) आवंटित किये जाने का निर्णय लिया गया।

वि.स.क्र.12.14: विश्वविधालय में गठित महिला उत्पीडन निवारण समिति के बाहरी सदस्यो को मानदेय की स्वीकृति के सम्बंध मे (कुलसचिव) :–

विश्वविधालय में "The sexual Harassment of women at work place (Prevention, Prohibition and Redressal Act, 2013" के Chapter II की धारा 4(2) के अनुसरण में माननीय कुलपति महोदय के अनुमोदन उपरांत कुलसचिव के आदेश क्रंमाक 19507–19549 दिनांक 07/03/14 के अनुसार महिला उत्पीड़न सम्बंधी शिकायत के निवारण हेतु "महिला उत्पीड़न समिति राजस्थान तकनीकी विश्वविधालय कोटा" गठित की गई है जिसके क्रम में उक्त अधिनियम की धारा 4(4) के अनुसार समिति में नामित बाहरी सदस्यों (श्रीमति प्रसन्ना भण्डारी, अध्यक्ष एवं श्रीमति कल्पना शर्मा, सदस्य) को प्रबंन्ध मण्डल, राजस्थान तकनीकी विश्वविधालय के सदस्यों के लिए निर्धारित दरों (राशि रू.1000 प्रति बैठक/प्रतिदिन) के अनुरूप भुगतान करने हेतु माननीय कुलपति महोदय के अनुमोदन उपरांत कुलसचिव द्वारा आदेश क्रंमाक 757–66 दिनांक 21/05/2014 जारी किये गये है।(परिशिष्ट–13 पृष्ट संख्या 52 से 57)

अतः प्रकरण समिति के समक्ष अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

संकल्प : समिति द्वारा प्रकरण का अवलोकन कर प्रस्तावानुसार विश्वविद्यालय में गठित महिला उत्पीडन निवारण समिति के बाहरी सदस्यों को राशि रू0 1000/–प्रति बैठक/प्रतिदिन की दर से मानदेय भुगतान करने की सहमति व्यक्त की गई।

वि.स.क्र.12.15: विश्वविधालय के कार्मिकों को देय वर्दी की दरों में वृद्वि करने के सम्बंध में (कुलसचिव):–

राजस्थान तकनीकी विश्वविधालय, कोटा की वित्त समिति की सातवीं बैठक में वि0स0टे0 एजेण्डा क्रंमाक 7.5 में राजस्थान विश्वविधालय, जयपुर के अनुरूप वित्तीय वर्ष 2012–13 से प्रयोगशाला अनुचरों/सहायकों को 1118/– व अन्य पात्र कार्मिकों को राशि रू. 1176/– प्रति कार्मिक/प्रति वित्तीय वर्ष की दर से वर्दी हेतु नकद भुगतान करने की स्वीकृति जारी की गई थी एवं तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2012–13 व 2013–14 के लिए पात्र कार्मिको को उक्त दरों के अनुरूप भुगतान किया जा चुका है।

उपरोक्त क्रम में कुलसचिव द्वारा वर्दी हेतु निर्धारित दरों को सामान्य प्रशासन (ग्रुप–3) विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रंमाक प.6(2)/सा.प्र./3/81 दिनांक 30.03.2013 के अनुरूप वृद्वि करने के सम्बंध में प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये है। (परिशिष्ट–14 पृष्ट संख्या 58 से 61)

अतः प्रकरण समिति के समक्ष अवलोकनार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

संकल्प : समिति द्वारा प्रकरण का अवलोकन कर प्रस्तावानुसार वर्दी की दरों में राज्य सरकार द्वारा संशोधित दरों के अनुरूप वर्ष 2014–15 से वृद्वि करने की अभिशंषा की गई। साथ ही समिति द्वारा सहमति व्यक्त की गयी कि राज्य सरकार द्वारा भविष्य में वर्दी की दरों में की जाने वाली वृद्वि विश्वविद्यालय पर भी लागू होगी।

वि.स.क्र.12.16: (मैन विद मशीन) को हायर करने की दरों में संशोधन करने के संबंध में (कुलसचिव):–
वित्त (बजट) विभाग, राजस्थान सरकार के परिपत्र कमांक एफ.9(1)एफडी.1(1)बजट 2012 दिनांक 01.05.2014 के अनुसार विभाग के समसंख्यक परिपत्र कमांक एफ. 9(1)एफडी.1(1)बजट 2004 दिनांक 28.07.2008 में वर्णित कम्पयूटर मशीन के स्पेशिफिकेशन को अपग्रेड करते हुए संशोधित स्पेशिफिकेशन के अनुरूप कम्पयूटर (मेन विद मशीन) अनुमोदित सेवा प्रदाता एजेन्सी के माध्यम से हायर करने पर पूर्व निर्धारित दर राशि रू0 6500/–प्रतिमाह को राशि रू0 8000/–प्रतिमाह तक संशोधित करते हुए दिनांक 01.05.2014 से लागू करने के निर्देश जारी किये गये हैं।
अतः तद्नुसार विश्वविद्यालय द्वारा राज्य सरकार के उपर्युक्त आदेशों/नियमों के अन्तर्गत वांछित संख्या में कम्प्युटर (along with trained person) सेवा प्रदाता एंजेन्सी के माध्यम से संविदा पर लिये जाने का निर्णय लिया गया है। (परिशिष्ट–15 पृष्ट संख्या 62 से 64)

अतः प्रकरण समिति के समक्ष अवलोकनार्थ/विचारार्थ प्रस्तुत हैं।

संकल्प : समिति द्वारा प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। साथ ही समिति द्वारा राज्य सरकार द्वारा भविष्य में (मैन विद मशीन) को हायर करने की दरों में समय–समय पर की जाने वाली वृद्वि को नियमानुसार विश्वविधालय में भी पर लागू करने की अभिशंषा की गई।

वि.स.क्र.12.17: न्यूनतम मजदूरी दरों पर उच्च कुशल/कुशल/अर्द्वकुशल/अकुशल सेवाओं के उपापन के संबंध में (कुलसचिव) :–
विश्वविद्यालय द्वारा कनिष्ठ लिपिकों/शीघ्रलिपिकों/सहायक कर्मचारियों/प्रयोगशाला अनुचरों हेतु रिक्त पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किये गये हैं जो प्रक्रियाधीन है जिसके परिणामस्वरूप विश्वविद्यालय के विभिन्न कार्यालयों/अनुभागों से संबंधित सूचनाओं के आदान–प्रदान, रिकॉर्ड संधारण, पत्राचार एवं अन्य आवश्यक कार्य दुष्प्रभावित हो रहे हैं।

निदेशक यूसीई एवं कुलसचिव द्वारा विभिन्न कार्यालयों/अनुभागों में कनिष्ठ लिपिकों/सहायक कर्मचारियों/शीघ्रलिपिकों/प्रयोगशाला अनुचरों के रिक्त पदो के समक्ष कार्मिक विभाग, राजस्थान सरकार की अधिसूचना दिनांक 03.12.2012 के द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर पर सेवा प्रदाता एजेन्सी के माध्यम से उच्च कुशल/कुशल/अर्द्वकुशल/अकुशल सेवाओं के संविदा पर उपापन करने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये हैं। (परिशिष्ट–16 पृष्ट संख्या 65 से 76)

अतः प्रकरण समिति के समक्ष अवलोकनार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

संकल्प : समिति द्वारा प्रकरण का अवलोकन कर विश्वविद्यालय में विभिन्न संवर्ग के कार्मिकों के रिक्त पदो के समक्ष वांछित संख्या में कार्मिक विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी दरों पर सेवा प्रदाता एजेन्सी के माध्यम से उच्च कुशल/कुशल/अर्द्धकुशल/अकुशल सेवाओं के संविदा पर (नियमानुसार अपवाद स्वरूप परिस्थितियों में पूर्णतया अस्थायी आधार पर) उपापन करने की अभिशंषा की गई ।

वि.स.क्र.12.18: कम्प्यूटर विभाग के सर्वर कक्ष हेतु एयरकंडीशनर्स क्रय करने की स्वीकृति के संबंध में (सम्पदा अधिकारी):–

विश्वविद्यालय के कम्प्यूटर विभाग के सर्वर कक्ष में लगे हुए एयरकंडीशनर्स काफी पुराने होने से उचित कूलिंग नहीं होने के कारण विश्वविद्यालय में इन्टरनेट की सेवाऐं लंबे समय से दुष्प्रभावित हो रही है जिसके परिणामस्वरूप विश्वविद्यालय के परीक्षा एवं अन्य आवश्यक कार्य बाधित हो रहे हैं। सम्पदा अधिकारी द्वारा तीन एयरकंडीशनर्स मय टाईमर क्रय करने हेतु अनुमानित लागत राशि रू0 1.50 लाख की स्वीकृति चाही गई है। (परिशिष्ट–17 पृष्ट संख्या 77 से 78)

अतः प्रकरण समिति के समक्ष अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

संकल्प : समिति द्वारा प्रकरण का अवलोकन कर प्रस्तावानुसार तीन एयरकंडीशनर्स मय टाईमर क्रय करने की सहमति व्यक्त की गई।

वि.स.क्र.12.19: अशंदायी प्रावधायी निधि पर ब्याज की गणना के सम्बंध में (वित्त अधिकारी):–

आर.टी.यू कर्मचारी भविष्य निधि रेग्यूलेशन, 2011 के अन्तर्गत विश्वविधालय के कार्मिकों के अशंदायी प्रावधायी निधि में नियमानुसार अशंदान राशि की कटौती की जाकर कार्मिकों के अशंदायी प्रावधायी निधि खातें में जमा की जा रही है तथा सेवानिवृत्ति/मृत्यु/त्यागपत्र/ सेवा से हटाये जाने पर कार्मिकों का खाता बन्द कर खातें में जमा राशि का ब्याज सहित भुगतान किया जा रहा है लेकिन कपितय प्रकरणों में कार्मिकों द्वारा स्वत्व प्रपत्र, अबकाया प्रमाण पत्र आदि प्रस्तुत नहीं करने/कार्मिकों की वर्तमान अवस्था/पते की जानकारी नहीं होने के कारण कार्मिकों की राशि अवितरित रखी हुई है।

राजस्थान राज्य कर्मचारी सामान्य प्रावधायी निधि नियम, 1997 के नियम 12 के प्रावधानों के अनुसार खातें में कटौती बन्द हो जाने पर विभाग द्वारा खाता निस्तारित किये जाने के माह तक के ब्याज का भुगतान किये जाने के निर्देश है। (परिशिष्ट–18 पृष्ट संख्या 79 से 83)

अतः राजस्थान राज्य कर्मचारी सामान्य प्रावधायी निधि नियम, 1997 के नियम 14 के अन्तर्गत विश्वविधालय कार्मिकों के अशंदायी प्रावधायी निधि के अन्तर्गत कार्मिक के सेवानिवृत्ति/मृत्यु/त्यागपत्र/सेवा से हटाये जाने की अवस्था में सम्बन्धित कार्मिक के सेवा निवृत्ति/मृत्यु/त्यागपत्र/सेवा से हटाये जाने पर सेवा मुक्ति तिथि से खाता बन्द कर विश्वविधालय द्वारा खाता निस्तारित किये जाने के माह तक का ब्याज मय अंशदान राशि का भुगतान किया जाना प्रस्तावित है।

अतः प्रकरण समिति के समक्ष अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

संकल्प : समिति द्वारा प्रस्ताव पर आवश्यक चर्चा उपरान्त राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कर्मचारी भविष्य निधि रेग्यूलेशन, 2011 के नियम 8 के अनुसार समुचित निर्णय/कार्यवाही हेतु नियम 4 के अंतर्गत गठित कमेटी के समक्ष वांछित प्रस्ताव रखने के निर्देश दिये गये ।

(प्रो. एन.एस. व्यास)
कुलपति एवं अध्यक्ष
वित्त समिति

(एस.एन. शर्मा)
वित्त अधिकारी एवं सदस्य सचिव
वित्त समिति